

करमाराम बनाम मोहनलाल व अन्य
प्रकरण संख्या:- 55/2024(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांक:-07/01/2025

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज0)

प्रकरण संख्या -55/2024 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक - 17/05/2024
निर्णय दिनांक -07/01/2025

अनवान

1. करमाराम पिता पुराराम आयु 53 वर्ष जाति सालवी निवासी ओटा तहसील भीम जिला राजसमन्द


प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहनलाल पिता मना आयु बालिग जाति कलाल निवासी ग्राम खेडा तहसील मियाला, जिला राजसमन्द (राज.)।
2. भंवरीदेवी पत्नी नंगजीराम आयु बालिग जाति कलाल निवासी ग्राम खेडा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)।
3. छोगालाल पिता मना आयु बालिग जाति कलाल निवासी ग्राम खेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।
4. भंवरलाल पिता मना आयु बालिग जाति कलाल निवासी ग्राम खेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।
5. रामलाल पिता गुलाब आयु बालिग जाति कलाल निवासी ग्राम जोगेला (आसन), तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)।
6. डालुराम पिता गिरधारी आयु बालिग जाति कलाल निवासी ग्राम जोगेला (आसन), तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)।
7. सुशीला पत्नी डाउलाल रेगर आयु बालिग जाति रेगर निवासी ग्राम मियाला मजरा सडक का बाडिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।
8. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)।

अप्रार्थीगण





सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

करमाराम बनाम मोहनलाल व अन्य
प्रकरण संख्या:- 55/2024(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांक:-07/01/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम
:: निर्णय ::

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू-राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य व खातेदारी कब्जे की भूमि राजस्व ग्राम आसन पटवार मण्डल मियाला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 48 आराजी संख्या 1354 रकबा 0.6500 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 174 आराजी संख्या 1335 रकबा 0.2200 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कुलिया आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी है एवं प्रार्थी ही उक्त नम्बर की देख भाल कर रहा है। पर निर्बाध रूप से काश्त वगैरहा करता चला आ रहा, किन्तु प्रार्थी की उक्त भूमि के चारों ओर पत्थर की पक्की बाउन्ड्री/ सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षीगण जो कि उक्त वर्णित भूमि की सीमा से मिलते हुए पडौसी है एवं हर समय फसल की कटाई एवं बुवाई के विवाद सीमा बाबत् बना रहता है तथा अनाव यक प्रार्थी को मुकदमे बाजी के लिये विवाद होना पडता है। मौके पर अशांति कायम रहती है प्रार्थी भान्ति पूर्वक काश्त ,उपयोग व उपभोग भूमि का नही कर पा रहा है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा से मिलते हुए विपक्षीगण की भूमि की सीमा है जिससे विपक्षीगण प्रार्थी की उक्त भूमि के पडौसी है किन्तु सीमा बाबत् विवाद विपक्षीगण से पैदा होता है इसलिये आराजीयात के पडौसी होने से आव यक पक्षकार के रूप ये विपक्षी बनाया गया है। प्रार्थी खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात की बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है तो प्रार्थी को फसलो की बुवाई, कटाई के समय विपक्षीगण आराजीयात बाबत् जो हर वक्त विवाद पैदा होता है वह हमेशा, हमेशा के लिये समाप्त हो जावेगा तथा प्रार्थी भान्ति पूर्वक का त वगैरहा व भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेगा। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढी पेश किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

करमाराम बनाम मोहनलाल व अन्य
प्रकरण संख्या:- 55/2024(प्रा0पत्र)

आदेश दिनांक:-07/01/2025

भूमि के उक्त प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित ग्राम आसन पटवार मण्डल
मियाला की खाता नम्बर 48 अराजी नम्बर 1354 क्षेत्रफल 1354 क्षेत्रफल 0.6500 हैक्टेयर
कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.6500 हैक्टेयर व खाता नम्बर 174 आराजी नम्बर 1355
क्षेत्रफल 0.2200 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.2200 हैक्टेयर भूमि की बाद नपती
पत्थरगढी कराये जाने का आदेश प्रदान करावे


इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब
किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 बावजूद सूचना तामिल के अनुपरिथत
रहने से प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के
आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 08 के विरुद्ध कोई दाद नहीं चाही गयी है जिससे
जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध
रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को
सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :-

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession. (2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्व

करमाराम बनाम मोहनलाल व अन्य
प्रकरण संख्या:- 55/2024(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांक:-07/01/2025

possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning boundaries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम आसन पटवार मण्डल मियाला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द की खाता नम्बर 48 आराजी नम्बर 1354 क्षेत्रफल 0.6500 हैक्टेयर व खाता नम्बर 174 आराजी नम्बर 1355 क्षेत्रफल 0.2200 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शों के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावे। यदि कब्जे/रकबा कम/ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावे। पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा संपूर्ण आदेश नहीं समझा जावे। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(अर्चना चौधरी I.A.S.)
सहायक, जिला धरणी देवगढ़
जिला राजसमन्द